

प्रेस नोट

दिनांक: 13.10.2026

थाना वजीरगंज पुलिस द्वारा नाबालिग बालिका को बहला-फुसला कर भगा ले जाने व दुराचार करने के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

घटना का संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 11.04.2026 को थाना वजीरगंज क्षेत्रान्तर्गत ग्राम खानपुर निवासी एक व्यक्ति द्वारा अपनी करीब 15 वर्षीय पुत्री के लापता होने के संबंध में थाना वजीरगंज पर तहरीर दी गई। तहरीर के अनुसार उसकी पुत्री दिनांक 11.04.2026 को प्रातः करीब 06:00 बजे शौच के लिए खेत की ओर गई थी, जिसके बाद वापस घर नहीं लौटी। परिजनों द्वारा तलाश करने पर उसका कोई पता नहीं चल सका। वादी द्वारा आशंका व्यक्त की गई कि उसकी पुत्री जिस मोबाइल नम्बर पर बातचीत करती थी, उससे संबंधित किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उसे बहला-फुसलाकर ले जाया गया है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना वजीरगंज पर मु0अ0सं0 131/2026 धारा 137(2) बीएनएस के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही:-

दिनांक 13.10.2026 को उ0नि0 अनिरुद्ध कुमार सिंह मय हमराह का0 सतीश सिंह चन्दापुर बाजार में बैनर-पोस्टर पार्टी के दौरान मामूर थे। इसी दौरान मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि उक्त अभियोग से संबंधित वांछित अभियुक्त चन्दापुर कोडर मोड़ पर खड़ा है। सूचना पर पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची, पुलिस टीम को देखकर अभियुक्त ने भागने का प्रयास किया, जिसे तत्परता से पकड़ लिया गया। पूछताछ में उसने अपना नाम कमल पुत्र ब्रजलाल निवासी ग्राम ब्रिजोर, थाना हरियांवा, जनपद हरदोई बताया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना वजीरगंज पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त:-

01- कमल पुत्र ब्रजलाल निवासी ग्राम ब्रिजोर, थाना हरियांवा, जनपद हरदोई

पंजीकृत अभियोग:-

01- मु0अ0सं0 131/2026 धारा 137(2), 87, 64(1) बीएनएस एवं 3/4 पॉक्सो एक्ट, थाना वजीरगंज, जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 अनिरुद्ध कुमार सिंह।
2. का0 सतीश सिंह।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक: 13.10.2026

थाना तरबगंज पुलिस द्वारा दुराचार करने के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

घटना का संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 11.10.2026 को थाना तरबगंज क्षेत्रान्तर्गत ग्राम रेतादल सिंह पूरे रघुनाथ निवासी एक व्यक्ति द्वारा अपने करीब 12 वर्षीय पुत्र के कोचिंग पढ़कर लौटते समय हरिओम चौबे नाम के व्यक्ति द्वारा दुराचार किये जाने के संबंध में तहरीर दी गयी। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना तरबगंज पर मु0अ0सं0 0317/2026 धारा 115(2), 351(3) बी.एन.एस. व 5/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही:-

दिनांक 13.10.2026 को उ0नि0 मृत्युज्य सिंह मय हमराह के साथ मुकदमा उपरोक्त की विवेचना व तलाश अभियुक्त हेतु क्षेत्र में मामूर थे कि जरिये मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि धौरहार घाट रानीपुर तिराहे पर अभियुक्त मौजूद है। सूचना पर पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंच कर आरोपी अभियुक्त हरिओम को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना तरबगंज पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त:-

01- हरिओम चौबे पुत्र स्व० परमात्मा प्रसाद चौबे नि० गिरधरपुर थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग:-

01- मु0अ0सं0-317/2026 धारा 115(2), 351(3) बी.एन.एस. व 5/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1.उ०नि० मृत्युञ्जय सिंह
- 2.का० यशवन्त यादव
- 3.का० अंकित राय

मीडिया सेल, गोण्डा।